छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
:मंत्रालयः
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक / 1372/154 / 2023 / 50 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 11/05 / 2023

प्रति,

1. **कलेक्टर सह अध्यक्ष**
   जिला बाल संरक्षण समिति
   जिला–समस्त (छ.ग.)
2. **जिला कार्यक्रम अधिकारी /**
   जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
   महिला एवं बाल विकास विभाग
   जिला–समस्त (छ.ग.)
3. **जिला बाल संरक्षण अधिकारी**
   जिला बाल संरक्षण इकाई
   महिला एवं बाल विकास विभाग
   जिला–समस्त (छ.ग.)
4. **अधीक्षक,**
   बाल देखरेख संस्था–समस्त
   जिला–समस्त (छ.ग.)

विषय :– मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के क्रियान्वयन दिशा–निर्देश।

विषयांतर्गत बालकों की देखरेख तथा संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2021 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित नियम 2022 के प्रावधानों के अनुरूप बच्चों के सर्वोत्तम हित में मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय दिशा निर्देश संलग्न है।

2/ मुख्यमंत्री बाल उदय योजना संचालन की स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 489 /वित्त विभाग/ब–1 दिनांक 25.04.2023 द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री बाल उदय योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3/ कृपया मुख्यमंत्री बाल उदय योजना का तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(पोषण चन्द्राकर)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

Add Dir/JD/DD/AD (MV)
Date .... Director
12 MAY 2023

पृ.क्रमांक 1373/154/2023/50 **अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 11/05/2023**

प्रतिलिपि :–

1. **विशेष सहायक, माननीय मंत्री,** महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर।
2. **सचिव, भारत सरकार,** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. **अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,** गृह विभाग/श्रम विभाग/ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/शिक्षा विभाग/समाज कल्याण/खेल एवं युवा कल्याण विभाग/विधि विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर।
4. **महालेखाकार** छत्तीसगढ, रायपुर।
5. **संभागायुक्त** समस्त।
6. **संचालक,** महिला एवं बाल विकास, संचालनालय इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. **संचालक,** राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला–रायपुर (छ.ग.)।
8. **उप संचालक,** महिला प्रशिक्षण संस्था केन्द्र, बिलासपुर/जगदलपुर (छ.ग.)।
9. **अध्यक्ष,** किशोर न्याय बोर्ड जिला–समस्त (छ.ग.)।
10. **अध्यक्ष,** बालक कल्याण समिति, जिला–समस्त (छ.ग.)।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

मुख्यमंत्री बाल उदय योजना छत्तीसगढ़

1. **योजना का उद्देश्य** – मिशन वात्सल्य के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं के 18 वर्ष से अधिक आयु के संस्था से बाहर जाने वाले बालकों को आवश्यक सहयोग देकर समाज में पुनर्वासित एवं पुनर्स्थापित करना।

2. **योजना का नाम एवं विस्तार** – पूर्व में प्रदेश में आफ्टर केयर के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3. परिभाषा –

   3.1 **बाल देखरेख संस्था** – योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था से अभिप्राय किशोर न्याय अधिनिम के तहत् संचालित बालगृह से है।

   3.2 **बालक** – 18 वर्ष तक की आयु के बालक एवं बालिका से है।

   3.3 **केयर लीवर्स** – केयर लीवर्स से अभिप्राय आफ्टर केयर में जाने वाले अथवा रखे गये 18 वर्ष से अधिक आयु के युवक/युवतियों से है।

   3.4 **निर्मुक्ति** – योजना के संदर्भ में निर्मुक्ति से अभिप्राय 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर बाल देखरेख संस्था से बालक के मुक्त होने की स्थिति से है।

   3.5 **अपवादात्मक परिस्थिति** – योजना के संदर्भ में अपवादात्मक परिस्थिति से अभिप्राय गंभीर बीमारी से ग्रसित होना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में होना तथा पॉक्सो पीड़ित श्रेणी में होने से है।

   3.6 **बाल कल्याण समिति** – बाल कल्याण समिति से अभिप्राय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला स्तर पर गठित समिति से है।

   3.7 **पुनर्वास सह–स्थापन अधिकारी** – पुनर्वास सह–स्थापन अधिकारी से अभिप्राय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत् बच्चों के कौशल और अभिक्षमता को विकसित कर आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार एवं स्व–रोजगार के माध्यम से पुनर्वास करवाये जाने हेतु प्रत्येक जिले में उक्त कार्य हेतु पदस्थ किए जाने वाले एक अधिकारी से है।

4. योजनांतर्गत पात्रता :–

   4.1 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पंजीकृत बाल देखरेख संस्था में आवासरत बालक/बालिका जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है।

   4.2 मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक की स्थिति में न्यूनतम 03 वर्ष तक निरंतर निवासरत बच्चे पात्र होंगे। यदि बालक/बालिका एक से अधिक बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत रहे है तो विभिन्न संस्थाओं में निवास की निरंतर अवधि को गणना में लिया जावेगा परंतु निर्मुक्ति दिनांक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में न्यूनतम 03 वर्ष तक निरंतर निवास होना अनिवार्य होगा।

4.3 कार्यक्रम के तहत बालक/बालिका को अधिकतम 21 वर्ष की आयु तक लाभान्वित किया जावेगा तथा अपवादात्मक परिस्थितियों में इसे 02 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकेगा।

4.4 योजना अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, निर्धारित समयावधि अथवा 25 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जायेगी।

5. **योजना अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं** – बाल देखरेख संस्था से निर्मुक्त हुए केयर लीवर्स को योजना अंतर्गत निम्नानुसार सहायता की पात्रता होगी –

5.1 **आवास हेतु सहायता** – आफ्टर केयर अंतर्गत लाभान्वित होने वाले बालक/बालिकाओं को निम्नानुसार आवास हेतु सहायता उपलब्ध करायी जायेगी –

5.1.1 **सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था** –

5.1.1.1 06 से 08 बच्चों के लिए अस्थायी आधार पर सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था की जावेगी। यह आवास व्यवस्था बालक/बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक होगी।

5.1.1.2 सामुदायिक सामूहिक आवास संभागीय मुख्यालयों में संचालित होगा। उक्त सामूहिक आवास व्यवस्था का लाभ राज्य के किसी भी जिले के बच्चे ले सकेंगे।

5.1.1.3 सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था में बच्चों को एक परिवार की इकाई के रूप में साथ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा और अपनी रसोई और घर चलाने की जिम्मेदारियों को साझा करना सीखेंगे।

5.1.1.4 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्वयं या चयनित स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से आवास व्यवस्था की जावेगी।

5.1.1.5 सामुदायिक सामूहिक आवास की 01 युनिट के लिए चयनित स्थान में न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रत्येक 02 बच्चों पर 150 वर्गफीट एरिया, पर्याप्त रोशनी एवं हवादार आवास कक्ष, 01 बाथरूम एवं शौचालय तथा 01 रसोईघर होना चाहिए। सामुदायिक सामूहिक आवास हेतु न्यूनतम 1200 वर्ग फीट क्षेत्र का आवास लिया जावे।

5.1.1.6 सामुदायिक सामूहिक आवास के संचालन करने वाले स्वयं सेवी संगठन/संस्थाओं द्वारा 01 समय में पृथक–पृथक स्थान पर अधिकतम 02 यूनिट का संचालन किया जा सकेगा।

5.1.1.7 बाल देखरेख संस्था का संचालन करने वाले संगठन/संस्था द्वारा यदि सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था का संचालन किया जाता है तो सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था का संचालन बाल देखरेख संस्था से संलग्न ऐसे स्थान पर किया जा सकेगा जहां से बाल देखरेख संस्था से प्रत्यक्ष संपर्क न हो सके।

5.1.1.8 सामुदायिक सामूहिक आवास में केवल बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के आदेश से ही बच्चों को प्रवेश दिया जावेगा।

5.1.1.9 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे बच्चे, जिन्हें आफ्टर केयर कार्यक्रम के तहत सामुदायिक सामूहिक आवास के लिए चिन्हित किया गया है, को उनके आवास, भोजन की व्यवस्था, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान, वस्त्र इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता के रूप में संबंधित बच्चे के बैंक बचत खाते में मासिक रूप से निर्धारित राशि उपलब्ध करायी जावेगी।

5.1.1.10 सामुदायिक सामूहिक आवास में आवासरत बच्चे अपनी वृत्तिका/छात्रवृत्ति/मानदेय/वेतन/आफ्टर केयर अंतर्गत प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता राशि से सामूहिक रूप से मासिक व्यय यथा आवास का किराया, भोजन व्यवस्था, बिजली, पानी, साफ–सफाई आदि की व्यवस्था करेंगे। बच्चे अपने निजी व्यय यथा कपड़े, बिस्तर, टायलेट्रीज, चिकित्सा, अन्य व्यक्तिगत व्यय स्वयं करेंगे।

5.1.1.11 सामुदायिक सामूहिक आवास के तहत चिन्हित बच्चों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता के रूप में संबंधित बच्चे के बैंक बचत खाते में कुल राशि रूपये 7,000/– प्रतिमाह प्रति बच्चा प्रदान की जावेगी। इसमें से 4,000/– रूपये मिशन वात्सल्य के तहत तथा 3,000/– रूपये बाल उदय योजना अंतर्गत प्रदाय किये जायेंगे। बालको द्वारा किराये के भवन में सामूहिक रूप से आवास किये जाने की स्थिति में प्रति बालक प्रतिमाह 1,000/– रूपये की राशि आवास किराया के रूप में मुख्यमंत्री बाल उदय योजना अंतर्गत प्रदान की जायेगी।

5.1.1.12 सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था में रखे गये बालक/बालिका द्वारा दैनिक कार्य/व्यवस्थाओं का प्रबंधन स्वयं किया जावेगा। वे स्वयं नियमावली तैयार करेंगे। इसमें जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा स्वयं सेवी संगठन के सामाजिक कार्यकर्ता/पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी उनकी सहायता करेंगे।

5.1.1.13 सामुदायिक सामूहिक आवास में रहने वाले बालक/बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण/उच्चतर शिक्षा/कौशल प्रशिक्षण/उद्यमी कार्यकलाप से जोड़ा जावेगा। पुनर्वास योजनाओं के विषय में विचार विमर्श के लिए नियमित रूप से परामर्शदाता की सेवाएं उपलब्ध करायी जायेगी। उनकी ऊर्जा को सकारात्मक माध्यम से सही दिशा उपलब्ध कराने और उनके जीवन में आये संकटो से निपटने में उनकी सहायता हेतु सृजनात्मक कार्यकलापों एवं जीवन कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी। सामुदायिक

सामूहिक आवास में रहने वाले प्रत्येक बच्चे को उक्त में से किसी 01 कार्यक्रम में जुड़ना आवश्यक होगा।

5.1.1.14 यदि सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था का संचालन चयनित स्वयं सेवी संगठन/संस्था द्वारा किया जाता है तो चयनित स्वयं सेवी संगठन/संस्था को निर्धारित कार्यों के प्रभावी निष्पादन तथा कार्यक्रम से जुड़े बच्चों के पर्यवेक्षण एवं सतत् सहयोग के लिए राशि रूपये 3,000/– प्रति माह प्रति बच्चे के हिसाब से अनुदान प्रदान किया जायेगा। सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था हेतु स्वयं सेवी संगठन/संस्था द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार किराये का भवन लिये जाने पर अधिकतम 10,000/– रूपये की सीमा के भीतर किराया राशि प्रदान की जावेगी।

5.1.1.15 सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था हेतु स्वयं सेवी संगठन/संस्था के चयन के मापदंड वहीं होंगे जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 के तहत बाल देखरेख संस्था संचालन हेतु निर्धारित है।

5.1.1.16 सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था हेतु स्वयं सेवी संगठन/संस्था के चयन की कार्यवाही संबंधित संभागीय मुख्यालय के जिले द्वारा की जावेगी, जिस संभागीय मुख्यालय में सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था का संचालन किया जावेगा।

5.1.2 **उच्च शिक्षा के दौरान हॉस्टल में आवास व्यवस्था** – योजना अंतर्गत चिन्हित बालक/बालिका को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान शासकीय शिक्षण संस्थान एवं मान्यता प्राप्त संबद्ध समस्त शिक्षण संस्थाओं में योजनांतर्गत चयनित बच्चों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। निःशुल्क आवासीय व्यवस्था उपलब्ध न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री बाल उदय योजना से सहायता प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी।

5.1.3 **स्वतंत्र रूप से जीवन यापन –** ऐसे बच्चे जो बाल उदय योजना के तहत प्राप्त होने वाली सेवाओं से जुड़ने के इच्छुक नहीं है अथवा जिन्हें किन्हीं कारणों से जोड़ा नहीं जा सकता है, को सामुदायिक आवास व्यवस्था के बिना जीवन यापन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुनर्वास आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिमाह 4,000/– रूपये बालक के बैंक बचत खाते में राशि उपलब्ध करायी जावेगी तथा 3,000/– रूपये बालक के आवर्ती जमा खाते में जमा किया जावेगा। इस प्रकार प्रति बच्चा 7,000/– रूपये प्रतिमाह की राशि अधिकतम 21 वर्ष की आयु तक अपवादात्मक परिस्थितियों में 02 वर्ष तक और प्रदान की जायेगी।

5.2 **शिक्षा निरंतर रखने, उच्चतर शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता** – आफ्टर केयर कार्यकम के तहत चिन्हित बालक/बालिका को शिक्षा निरंतर रखने, उच्चतर शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

5.2.1 **उच्च शिक्षा के लिए अनुदान/आर्थिक सहायता –**

5.2.1.1 बच्चे को उनकी योग्यता एवं इच्छित रोजगारोन्मुखी उच्च/तकनीकी शिक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर इत्यादि) उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रयोजन हेतु संबंधित बच्चे को संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से अनुदान/आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

5.2.1.2 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे की उच्च शिक्षा हेतु संबंधित शिक्षण संस्थान को निर्धारित फीस का भुगतान किया जायेगा। साथ ही संबंधित संस्थान की हॉस्टल व निर्धारित कोई अन्य सुविधा/फीस (मेस फीस, ट्रांस्पोर्ट, अनुरक्षण भत्ता, स्टेशनरी, ड्रेस फीस इत्यादि) का भुगतान संबंधित शिक्षण संस्थान को जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जायेगा।

5.2.1.3 भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने पर ही आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

5.2.1.4 उच्च शिक्षा के लिए अनुदान/आर्थिक सहायता हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य प्रचलित योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकेगा। हितग्राही बालक/बालिका को किसी एक ही योजना का लाभ मिल सकेगा। यदि उक्त में से किसी योजना के तहत लाभान्वित होने पर उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे स्थिति में छ.ग. बाल कोष से अंतर की राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

5.2.1.5 उच्च शिक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार की निःशुल्क कोचिंग संबंधित योजनाओं से लाभान्वित किया जायेगा।

5.2.1.6 उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता के रूप में संबंधित बच्चे के बैंक बचत खाते में कुल राशि रूपये 7,000/– प्रतिमाह प्रति बच्चा प्रदान की जावेगी। इसमें से 4,000/– रूपये मिशन वात्सल्य के तहत तथा 3,000/– रूपये बाल उदय योजना अंतर्गत प्रदाय किये जायेंगे।

5.2.2 **व्यावसायिक प्रशिक्षण –**

5.2.2.1 चिन्हित बच्चों की योग्यता एवं रूचि के अनुसार रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

5.2.2.2 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों को उनकी रूचि एवं योग्यता अनुसार व्यावसायिक/कौशल उन्नयन कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकेगा।

5.2.2.3 बाल देखरेख संस्था के अधीक्षक/प्रभारी द्वारा प्रशिक्षण हेतु चिन्हित बच्चों की सूची जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता के संबंधित व्यावसायिक कार्यक्रम में बच्चों का प्रवेश कराया जायेगा।

5.2.2.4 शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्था द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु कोई फीस निर्धारित होने की स्थिति में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संबंधित कार्यक्रम हेतु निर्धारित फीस एवं अन्य खर्च सीधे ही संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता को जारी किया जायेगा।

5.2.2.5 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा कॉरपोरेट/निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/अनुभवी स्वयंसेवी प्रशिक्षण प्रदाता के माध्यम से भी बच्चों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण कराया जा सकेगा।

5.2.2.6 प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा तथा प्रशिक्षित बच्चों के लिए रोजगार हेतु सर्वोत्तम प्रयास किये जायेंगे।

5.3 **व्यवसाय/स्वरोजगार स्थापित करने हेतु सहायता** –

5.3.1 स्वरोजगार हेतु अन्य विभागों की योजना से जोड़ा जायेगा।

5.3.2 बालिकाओं को छ.ग. महिला कोष की योजनाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

5.3.3 उक्त अनुदान/सहायता राशि संबंधित बच्चे के बैंक बचत खाते में प्रदान की जायेगी।

5.3.4 स्वरोजगार स्थापित करने हेतु विभिन्न ऋण योजनाओं (प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास निगम, अन्य पिछड़ा/अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना, भारत सरकार एवं राज्य शासन की अन्य ऋण योजनाएं इत्यादि) के अंतर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

6. जीवन कौशल प्रशिक्षण –

6.1 संस्थागत देखरेख से बाहर आने के उपरांत बच्चों के पास ऐसे मूलभूत जीवन कौशल होना चाहिए जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है।

6.2 इस हेतु 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बालक/बालिका हेतु अनुभवी प्रशिक्षकों के माध्यम से जीवन कौशल जैसे कि संवाद स्थापित करना, सहभागिता, सृजनात्मकता, निर्णय क्षमता, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, समस्या समाधान, सहयोग, तार्किक चिन्तन, समूह भावना, नेतृत्व क्षमता आदि विषयों पर प्रभावी प्रशिक्षण दिया जावे।

6.3 आवश्यकता अनुसार मेट्रिमोनियल सेवाएं जैसे कि प्री–मेट्रिमोनियल काउंसलिंग, मेट्रिमोनियल रेफरल सेवाएं इत्यादि सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकती है।

6.4 पीयर/पीयर ग्रुप काउंसलिंग करायी जा सकती है।

6.5 एनजीओ पार्टनर, प्लेसमेंट एजेंसी, कैरियर काउंसलर, विभिन्न लाईन विभाग, संभावित नियोक्ता, व्यवसायिक प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के साथ में आफ्टर केयर नेटवर्क स्थापित किया जावे।

7. परामर्श सेवा –

7.1 लाभार्थी बच्चे को निश्चित समय तक बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार अनुभवी मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता/काउंसलर की सेवाएं उपलब्ध करायी जायेगी।

7.2 मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता/काउंसलर द्वारा तैयार रिपोर्ट को बच्चे की फाईल में संलग्न किया जायेगा।

7.3 मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता/काउंसलर की रिपोर्ट के आधार पर संगठन/संस्था एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे के लिए उचित हस्ताक्षेप एवं पुनर्वास हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

7.4 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्वयं या चयनित स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से संचालित सामुदायिक आवास व्यवस्था में निवासरत बच्चों के मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता/काउंसलर की सेवाओं हेतु प्रति विजिट राशि रूपये 700/– के मान से मानदेय प्रदान किया जायेगा।

8. स्वास्थ्य सुविधाएं – सुदृढ़ शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य हेतु निम्नानुसार सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकती है :–

8.1 सेहतमंद जीवनशैली की जानकारी देना एवं स्वस्थ जीवनशैली हेतु प्रेरित करना।

8.2 फर्स्ट एड किट के उपयोग के संबंध में जानकारी देना।

8.3 आपातकालीन सेवाओं यथा क्रमांक 112 की जानकारी देना।

8.4 आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना।

8.5 शासकीय स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी देना।

8.6 चिकित्सा बीमा योजना कराना।

8.7 नियमित स्वास्थ्य जांच।

8.8 आवश्यकता होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्वयं या चयनित स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से संचालित सामुदायिक आवास व्यवस्था में निवासरत बच्चों के चिकित्सक की सहायता लेने पर प्रति विजिट राशि रूपये 700/– के मान से मानदेय प्रदान किया जायेगा।

9. **आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराना** – बाल देखरेख संस्था से निर्गमन के समय समस्त आवश्यक अभिलेख बालक को एक किट के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे। सुझावात्मक सूची निम्नानुसार है :–

- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- ड्राईविंग लाईसेंस
- 10वी एवं 12वी की अंकसूची/प्रमाण पत्र
- अन्य शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/प्रमाण पत्र
- आयुष्मान कार्ड
- व्यवसायिक प्रमाण पत्र
- स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट
- बैंक खाता
- स्वास्थ्य/चिकित्सा संबंधी अभिलेख
- अनाथ होने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र
- रेफरेंस लेटर
- आफ्टर केयर प्लान
- महत्वपूर्ण संपर्क कमांक
- वोटर आईडी
- ई–श्रम कार्ड
- मुख्यमंत्री बाल उदय योजना का हितग्राही होने संबंधी प्रमाण–पत्र

10. आफ्टर केयर अंतर्गत आवेदन एवं लाभांवित किये जाने प्रकिया :–

10.1 14 से 18 साल की आयु के बच्चों हेतु आफ्टर केयर की प्रकिया प्रारंभ की जावे।

10.2 कक्षा 10वी से 12वी में अध्ययनरत बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जावे ताकि रूझान अनुसार शिक्षा हेतु विषय/व्यवसायिक पाठ्यक्रम का चयन किया जा सके।

10.3 बाल देखरेख संस्था में निवासरत ऐसे बच्चे जो आगामी 06 माह में 18 वर्ष के आयु पूर्ण करने वाले है, को आफ्टर केयर कार्यक्रम से जोड़ने हेतु उनकी सूची

समस्त आवश्यक विवरण के साथ तैयार करने की जवाबदारी संबंधित बाल देखरेख संस्था प्रभारी एवं ज़िला बाल संरक्षण इकाई की होगी।

10.4 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केसवर्कर या पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी के माध्यम से बच्चे के संस्थागत देखरेख छोड़ने के 03 माह पूर्व बच्चे की निर्मुक्ति पश्चात योजना (Post Release Plan) तैयार की जायेगी।

10.5 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे के आवश्यकतानुसार बच्चे को आफ्टर केयर कार्यक्रम से जोड़ने हेतु ऐसे बच्चों की सूची प्रारूप 43 में प्रकरण का विस्तृत विवरण, प्रारूप 07 में व्यक्तिगत देखरेख योजना एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की अनुशंसा के साथ बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति को प्रेषित की जायेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त प्रस्ताव बालक/बालिका के निर्मुक्त होने से कम से कम 02 माह पूर्व संबंधित बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के समक्ष पहुंच जाये। बाल देखरेख संस्था स्तर पर बालक हेतु तैयार किए जाने वाली आफ्टर केयर योजना का प्रारूप **परिशिष्ट–01** पर संलग्न है।

10.6 बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को आफ्टर केयर कार्यक्रम से जोड़ने के आदेश जारी करने के पूर्व साक्षात्कार के माध्यम से बच्चे की रूचि, व्यक्तिगत देखरेख योजना इत्यादि का आकलन कर उचित आदेश पारित किये जायेंगे।

10.7 बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा संस्थागत देखरेख छोड़कर जाने वाले बच्चे के संबंध में 21 वर्ष की आयु होने तक आफ्टर केयर प्राप्त करने हेतु प्रारूप 37 में आदेश जारी किये जायेंगे। अपवादात्मक परिस्थितियों में इस अवधि को 02 वर्ष तक के लिए अथवा उच्च शिक्षा/व्यवसायिक पाठ्यक्रम पूर्ण होने की निर्धारित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे प्रत्येक आदेश की प्रति संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जायेगी।

10.8 बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा आदेश जारी होने पर संबंधित बाल देखरेख संस्था द्वारा बच्चे से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज की प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

10.9 संबंधित बाल देखरेख संस्था द्वारा बच्चे को उसकी तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति के लिए नवीन वस्त्र, अन्य जरूरत का सामान एवं यात्रा किराया उपलब्ध कराया जायेगा।

10.10 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा शिक्षा, चिकित्सीय सहायता, पोषण, व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि क्षेत्र में बच्चों को स्वयं के संसाधनों से आफ्टर केयर प्रदान करने के इच्छुक संगठनों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों की सूची तैयार कर संधारित की जायेगी एवं इसे बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के साथ साझा किया जायेगा।

10.11 बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आफ्टर केयर से जोड़े हुए बच्चों का रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

10.12 पश्चातवर्ती देखरेख (After Care) में स्थापन आदेश प्राप्ति पश्चात बाल देखरेख संस्था के प्रभारी/अधीक्षक बालक को पश्चातवर्ती देखरेख सुविधा के लिए विमुक्त करेंगे।

10.13 बाल देखरेख संस्था द्वारा बालक को विमुक्त करते समय उसके निजी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, स्कूल के दस्तावेज जैसे मार्क–शीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, अन्य उपलब्धियों, व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र, चिकित्सा संबंधी कागजात, व्यक्तिगत सामान जो बच्चे को बाल देखरेख संस्था में रहने के दौरान दिये गये थे आदि सौंपे जायेंगे।

10.14 पश्चावतवर्ती देखरेख (After Care) में स्थापन आदेश उपरांत सहायता प्रारंभ करने से पूर्व जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा लाभार्थी से पश्चातवर्ती देखरेख नियमों के पालन संबंधी घोषणा पत्र लिया जाएगा।

10.15 बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय के स्थापन आदेश उपरांत लाभार्थी के नाम पर बैंक खाता खोला जाएगा जिसका संचालन स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।

10.16 अनुवर्तन रिपोर्ट एवं पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम हेतु राशि की उपलब्धता के आधार पर लाभार्थी के बैंक खाते में प्रतिमाह की 15 तारीख तक जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा राशि अंतरित की जाएगी। अनुवर्तन प्रपत्र **परिशिष्ट–02** पर संलग्न है।

10.17 योजना का मैदानी स्तर पर बेहतर कियान्वयन हेतु **परिशिष्ट–03** पर संलग्न तालिका अनुसार समय–सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

11. **आफ्टर केयर का निरस्तीकरण** – निम्नलिखित परिस्थितियों में आफ्टर केयर सहायता निरस्त/समाप्त की जा सकेगी –

11.1 लाभार्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। अपवादात्मक परिस्थितियें में इक्कीस वर्ष की आयु पूर्णता पश्चात और दो वर्ष तक पश्चातवर्ती देखरेख प्रदान की जा चुकी हो।

11.2 उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के 25 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो।

11.3 पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम का लाभ पा रहे लाभार्थी को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उपयुक्त रोजगार प्राप्त हो गया हो।

11.4 पश्चातवर्ती देखेरख के लाभार्थी का सफल उद्यमी कार्यकलाप की स्थापना हो चुकी हो।

11.5 लाभार्थी के विस्तारित परिवार में जाने पर सामुदायिक सामूहिक आवास सुविधा का निरस्तीकरण किया जावेगा।

11.6 लाभार्थी पश्चातवर्ती देखरेख सुविधा से पलायित हो गया हो।

11.7 लाभार्थी द्वारा विवाह कर लिया गया हो।

11.8 यदि लाभार्थी 15 दिन से ज्यादा दिनों तक सामुदायिक सामूहिक आवास सुविधा से बिना कारण अनुपस्थित रहता है।

11.9 जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा स्वयं सेवी संगठन द्वारा अनुवर्तन के दौरान पाया जाए कि –

11.9.1 व्यावसायिक प्रशिक्षण/शिक्षा आदि में रूचि की कमी दर्शित हो।

11.9.2 नियमित रूप से अनुशासनहीनता।

11.9.3 सामुदायिक आवास सुविधा के अन्य लाभार्थी पड़ोसियों, जिला बाल संरक्षण इकाई/स्वयं सेवी संगठन के अनुवर्तन स्टाफ आदि के साथ नियमित दुर्व्यवहार।

11.9.4 उसके आचरण व कार्य व्यवहार से आवास के माहौल का खराब होना।

11.9.5 लाभार्थी के व्यसन आदि के कारण सामुदायिक आवास सुविधा के अन्य लाभार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना।

11.9.6 लाभार्थी कानून के उल्लघंन का दोष सिद्ध पाया गया हो।

11.9.7 लाभार्थी द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत प्राप्त अनुपूरक सहायता का दुरूपयोग किया जाना पाया गया हो।

11.9.8 लडकियों के मामले में अगर यह पाया जाता है कि विस्तारित परिवार का समर्थन नहीं है या उपयुक्त रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है तो उसके स्वाधार गृह/नारी निकेतन/महिला आश्रय गृह में आश्रय और व्यावसायिक प्रशिक्षण जारी रखने के लिए भेजा जा सकता है।

12. **पश्चातवर्ती देखरेख की समाप्ति की प्रक्रिया –**

12.1 जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष लाभार्थी की वर्तमान स्थिति एवं पश्चातवर्ती देखरेख सेवायं समाप्त करने के कारणों सहित अनुशंसा एवं अनुवर्तन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायेगे।

12.2 स्वयं सेवी संगठन द्वारा समर्थित पश्चातवर्ती देखरेख सुविधा में रह रहे लाभार्थी की स्थिति में स्वयं सेवी संगठन से प्रतिवेदन प्राप्ति पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अनुवर्तन कराया जाएगा एवं कंडिका (12.1) अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

12.3 बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय द्वारा प्रकरण की समीक्षा उपरांत पश्चातवर्ती देखरेख समाप्ति/निरस्तीकरण आदेश उपरांत पश्चातवर्ती देखरेख सुविधा एवं वित्तीय सहायता बंद कर दी जाएगी।

12.4 पश्चातवर्ती देखरेख की समाप्ति के समय बालक से ली जाने वाली आवश्यक जानकारी संबंधी निर्मुक्ति प्रपत्र **परिशिष्ट–04** पर संलग्न है।

13. **उत्तरदायी अमला :–** जिला बाल संरक्षण इकाई में पदस्थ अमले द्वारा योजना क्रियान्वयन किया जावेगा। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथासंशोधित नियम 2022 में बालक देखरेख संस्था स्तर पर पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी का प्रावधान है परंतु पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है।

अतः कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता को देखते हुए प्रत्येक जिले में पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी का 01 संविदा पद जिला बाल संरक्षण इकाई में सृजित किया जाना प्रस्तावित है। पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी को मिशन वात्सल्य में प्रावधानित परियोजना अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के समतुल्य राशि रूपये 27,804/- प्रतिमाह संविदा वेतन एवं 03 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना प्रस्तावित है। योजना कियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल देखरेख संस्थाओं में पदस्थ अमले द्वारा अधिनियम एवं नियम में निर्धारित उत्तरदायित्व अनुसार कार्य किया जावेगा।

14. योजनांतर्गत गठित समिति :- छ.ग. बाल कोष अंतर्गत गठित समितियां मुख्यमंत्री बाल उदय योजना संबंधी कार्यदायित्वों का निर्वहन करेंगी।

15. **नोडल अधिकारी** :- राज्य स्तर पर संयुक्त संचालक (मिशन वात्सल्य) योजना क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे। जिला स्तर पर जिला कार्यकम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

16. बजट :- योजना के कियान्वयन के लिए आवश्यक आर्थिक राशि का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट मे किया जाएगा।

17. निगरानी एवं मूल्यांकन :-
    - 17.1 आफ्टर केयर में लाभांवित केयर लीवर्स का फॉलोअप जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रति माह किया जायेगा।
    - 17.2 जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के लाभार्थियों के संबंध में मासिक प्रतिवेदन राज्य बाल संरक्षण समिति को प्रेषित किया जायेगा।

18. अपील – किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 101 के प्रावधान अनुसार पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम से संबंधित समिति के किसी आदेश की व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा आदेश जारी किये जाने के 30 दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अपील कर सकेगा। परंतु जिला मजिस्ट्रेट उक्त 30 दिन की अवधि के अवसान के पश्चात अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को पर्याप्त कारणों से समय पर अपील करने से निवारित किया गया था और ऐसी अपील का विनिश्चय 30 दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री बाल उदय योजना अंतर्गत बालकों को प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों का विवरण

क्र.	मद / सेवा	राशि	रिमार्क
1.	**सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था**		
1.1	सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था में निवासरत बालकों को आर्थिक सहायता (4,000 मिशन वात्सल्य अंतर्गत तथा 3,000 दैनिक व्यय + 1,000 आवास किराया कुल 4,000 मुख्यमंत्री बाल उदय योजना अंतर्गत)	8,000/– प्रतिमाह	बालक के बैंक बचत खाते में जमा किया जावेगा।
1.2	सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था हेतु चिन्हित स्वयं सेवी संगठन/संस्था के लिए अनुदान	3,000/– प्रतिमाह प्रति बालक	संबंधित संस्था को अनुदान जारी किया जावेगा।
1.3	सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था हेतु चिन्हित स्वयं सेवी संगठन/संस्था द्वारा किराये के भवन में व्यवस्था संचालन हेतु अनुदान	10,000/– प्रतिमाह	संबंधित संस्था को अनुदान जारी किया जावेगा।
1.4	मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता/काउंसलर / चिकित्सक का मानदेय	700/– प्रति विजिट	मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता/ काउंसलर/ चिकित्सक को भुगतान किया जावेगा।
2.	**उच्च शिक्षा/व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता**		
2.1	निर्धारित फीस	वास्तविक राशि	संबंधित शिक्षण संस्थान को सीधे भुगतान किया जावेगा।
2.2	हॉस्टल फीस, मेस फीस, परिवहन, स्टेशनरी, ड्रेस फीस/अन्य शुल्क	वास्तविक राशि	संबंधित शिक्षण संस्थान को सीधे भुगतान किया जावेगा।
2.3	उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के दैनिक व्यय हेतु आर्थिक सहायता (4,000 मिशन वात्सल्य + 3,000 मुख्यमंत्री बाल उदय योजना अंतर्गत)	7,000/– प्रतिमाह	बालक के बैंक बचत खाते में जमा किया जावेगा।
3.	**स्वतंत्र जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता**		
3.1	संस्थागत सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाले बालकों हेतु आर्थिक सहायता (4,000 मिशन वात्सल्य + 3,000 मुख्यमंत्री बाल उदय योजना अंतर्गत)	4,000/– प्रतिमाह बचत बैंक खाते में + 3,000/– प्रतिमाह आवर्ती जमा खाते में इस प्रकार कुल 7,000/– प्रतिमाह	
4.	**छ.ग. बाल कोष से सहायता**		
4.1	उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए अत्यावश्यक होने पर छ.ग. बाल कोष से सहायता	वास्तविक व्यय अनुसार	जिले से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य स्तर से स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

मुख्यमंत्री बाल उदय योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं/लाभों का विवरण

क्र.	मद/सेवा	विवरण	विभाग
1.	सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था हेतु भवन की व्यवस्था	उपयुक्त शासकीय भवन की उपलब्धता हेतु संबंधित विभाग से जिला प्रशासन के माध्यम से समन्वय	• जिला प्रशासन • संबंधित विभाग जिनका भवन उपलब्ध है।
2.	बालको के लिए उच्च शिक्षा	• उच्च शिक्षा हेतु प्राप्त होने वाली सुविधाओं यथा निर्धारित शुल्क में छूट, हॉस्टल फीस एवं अन्य शुल्क में छूट इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के हितग्राहियों को प्राथमिकता से लाभान्वित करना। • निःशुल्क कोचिंग	• उच्च शिक्षा विभाग • तकनीकी शिक्षा विभाग
3.	व्यवसायिक/कौशल प्रशिक्षण	• बच्चों की योग्यता एवं रूचि के अनुसार रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। • प्रशिक्षण उपरांत रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना।	• तकनीकी शिक्षा विभाग
4.	स्वरोजगार स्थापना	स्वरोजगार हेतु विभिन्न विभागों की ऋण योजनाओं, स्वरोजगार योजना से जोडना।	• तकनीकी शिक्षा विभाग • उद्योग विभाग • अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग • समाज कल्याण विभाग • छ.ग. महिला कोष
5.	खाता खोलना	योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता राशि हेतु बचत खाता एवं परिस्थिति अनुसार आवर्ती खाता खोलना।	• विभिन्न बैंक
6.	आवश्यक अभिलेख संधारण	आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अंक सूची/प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ई–श्रम कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख	• संबंधित विभाग
7.	मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता/काउंसलर/ चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध कराना	सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था में निवासरत बालकों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य विभाग

परिशिष्ट--01

मुख्यमंत्री बाल उदय योजना अंतर्गत चिन्हांकित बालक हेतु आफ्टर केयर योजना प्रस्ताव

1. आफ्टर केयर योजना बनाने वाले केसवर्कर/परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी का नाम एवं पदनाम :– ....

2. आफ्टर केयर योजना बनाने का दिनांक :– ....

3. बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय का आदेश क्रमांक एवं दिनांक जिसके द्वारा बालक को प्रवेश दिया गया :– ....

4. बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय का विवरण जिसके द्वारा संस्था में प्रवेश हेतु आदेश जारी किया गया :– ....

5. बाल देखरेख संस्था जहां बालक निवासरत है :– ....
   - प्रवेश की तिथि :– ....
   - निर्मुक्ति की तिथि (संभावित) :– ....
   - निर्मुक्ति तिथि को बाल देखरेख संस्था में लगातार निवास की संभावित अवधि :– ....

6. बाल देखरेख संस्था में प्रवेश का कारण स्पष्ट लिखें :– ....

7. क्या बालक को परिवार/विस्तारित परिवार में पुनर्स्थापित किया जा सकता है :– ....

8. परिवार/विस्तारित परिवार का संपर्क क्रमांक (मोबाइल) :– ....

9. आफ्टर केयर योजना अंतर्गत लाभान्वित होने वाले बालक की जानकारी :– ....

   9.1 बालक का नाम :– ....

   9.2 बालक का मोबाईल नंबर :– .... ई–मेल :– ....

   9.3 बालक की जन्मतिथि :– .... आयु :– ....

   9.4 लिंग (स्त्री/पुरुष) :– ....

   9.5 बालक के पिता का नाम :– ....

   9.6 बालक के माता का नाम :– ....

   9.7 बालक के माता/ पिता का संपर्क, पता एवं मोबाईल क्रमांक :– ....

   ....

   9.8 बालक की जाति :– .... बालक का धर्म :– ....

   9.9 बालक की राष्ट्रीयता :– ....

   9.10 बालक की दिव्यांगता (अगर कोई है तो) :– ....

   9.11 दिव्यांगता प्रमाणपत्र :– (संलग्न/संलग्न नहीं) :– ....

10. निम्नलिखित आवश्यक अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करें :–

क्र.	अभिलेख का विवरण	पूर्ण / अपूर्ण	अभिलेख निर्माण प्रकिया की वर्तमान स्थिति	क्र.	अभिलेख का विवरण	पूर्ण / अपूर्ण	अभिलेख निर्माण प्रकिया की वर्तमान स्थिति
1.	आधार कार्ड			8.	राशन कार्ड		
2.	पैन कार्ड			9.	आयुष्मान कार्ड		
3.	ड्राइविंग लाइसेन्स			10.	अनाथ होने का प्रमाण पत्र		
4.	बैंक बचत खाता			11.	ई–श्रम कार्ड		
5.	जन्म प्रमाण पत्र			12.	वोटर आई–डी		
6.	मूल निवास प्रमाण पत्र			13.	रेफरेंस पत्र		
7.	जाति प्रमाण			14	अन्य कोई		

11. बालक के बैंक खाते की जानकारी :–

- बैंक का नाम :– ....
- पासबुक पर लिखा नाम :– ....
- खाता संख्या :– ....
- आईएफ़एससी संख्या :– ....

12. शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी (छाया प्रति संलग्न करें):–

- कक्षा 10वी की अंकसूची और प्रमाण पत्र :–
- कक्षा 12वी अंकसूची और प्रमाण पत्र :–
- यदि महाविद्यालय में अध्ययनरत है तो कक्षा, महाविद्यालय की जानकारी एवं गत उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची एवं प्रमाण–पत्र :–
- व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी जानकारी :–

क्र.	ट्रेड	संस्था का नाम	प्रशिक्षण अवधि		प्रमाण पत्र
			कब से	कब तक	
1.					
2.					
3.					

- अन्य किसी पुरस्कार / प्रमाणपत्र / रुचि–अभिरुचि संबंधी जानकारी :–

  1. ....
  2. ....
  3. ....

13. स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी विवरण (अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न) :–

- शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या और चिकित्सा (अगर है/थी) :– ....
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या और चिकित्सा (अगर है/ थी) :– ....
- कोई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या :– ....
- वर्तमान में चल रही चिकित्सा (अगर है तो) :– ....

14. बालक से वार्तालाप, जीवनवृत्त, और व्यक्तिगत देखरेख योजना के आधार पर प्रस्तावित हस्तक्षेप का विवरणः–

क्र.	विवरण	ध्यान देने योग्य बिंदु	वर्तमान में प्रचलित हस्तक्षेप	आफ्टर केयर के दौरान वांछित हस्तक्षेप
1.	स्वास्थ्य और पोषण			
2.	मानसिक और भावनात्मक			
3.	शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण			
4.	खेल–कूद और रचनात्मक कार्य			
5.	लोगों के साथ संबंध और व्यवहार			
6.	धार्मिक और जातिगत विचारधारा			
7.	साधारण कार्य कुशलता			
8.	जीवन कौशल प्रशिक्षण			
9.	स्वतंत्र जीवनयापन की कला			
10.	वित्तीय प्रबंधन कला			
11.	बालक संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय			

15. बालक की भविष्य की योजना :–

....

....

....

16. बाल उदय योजना के तहत बालक किस प्रकार की सेवा/सुविधा का लाभ लेना चाहता है :–

16.1 आफ्टर केयर अवधि के दौरान प्राप्त होने वाली मासिक राशि :– हां/नहीं

16.2 सामुदायिक आवास व्यवस्था में निवास :– हां/नहीं

16.3 स्वतंत्र रूप से जीवन यापन की सुविधा :– हां/नहीं

16.4 उच्च शिक्षा/व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए निर्धारित फीस एवं अन्य शुल्क :– हां/नहीं

16.5 अन्य कोई :– ....

17. उपरोक्त आफ्टर केयर योजना पर बालक की सहमति पत्रक संलग्न है – (हाँ/नहीं)

18. आफ्टर केयर के लिए अनुशंसा :–

18.1 आफ्टर केयर अवधि के दौरान स्वीकृति योग्य मासिक राशि :– ....

18.2 अनुशंसित आवास व्यवस्था का विवरण :–

- ➢ डीसीपीयू द्वारा संचालित आवास व्यवस्था का पते सहित पूर्ण विवरण :–
- ➢ स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित आवास व्यवस्था का संस्था एवं आवासीय व्यवस्था के पते सहित पूर्ण विवरण :–
- ➢ स्वतंत्र रूप से निवास करने की अनुशंसा करने की स्थिति में निवास का पूर्ण पता :–

18.3 उच्च शिक्षा / व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए निर्धारित फीस एवं अन्य शुल्क का विवरण :–

चयनित पाठ्यक्रम का विवरण	अवधि	संस्था	संस्था मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं, बैंक खाता कमांक आईएफएससी कोड (अभिलेख संलग्न करें)	संस्था में प्रवेश की पुष्टि संबंधी विवरण (अभिलेख संलग्न करें)	पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की संभावित तिथि	निर्धारित फीस	अन्य फीस	कुल देय राशि

18.4 अन्य कोई :– ....

हस्ताक्षर

अधीक्षक
बाल देखरेख संस्था

मुख्यमंत्री बाल उदय योजना अंतर्गत चिन्हांकित बालक का आफ्टर केयर के संबंध में सहमति पत्र

मैं .... माता / पिता / संरक्षक .... पता ....

बाल देखरेख संस्था .... जिला .... में निवासरत् हूँ। मेरे आफ्टर केयर का प्रस्ताव मुख्यमंत्री बाल उदय योजना अंतर्गत तैयार किया गया है। उससे मैं भलीभाँति अवगत हूँ एवं मेरे रूचि एवं परामर्श उपरांत तैयार किया गया है। अतः उक्त आफ्टर केयर योजना हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर मेरी सहमति है।

हस्ताक्षर

नाम :—

दिनांक :—

अनुशंसा प्रस्ताव

श्री .... माता / पिता / संरक्षक .... पता ....

बाल देखरेख संस्था .... जिला .... का आफ्टर केयर का प्रस्ताव मुख्यमंत्री बाल उदय योजना अंतर्गत बालक की उपरोक्तानुसार सहमति उपरांत तैयार किया गया है। बालक का .... क्षेत्र हेतु आफ्टर केयर प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में समस्त संलग्न दस्तावेजों के साथ अनुशंसा सहित स्वीकृति बाबत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर

अधीक्षक
बाल देखरेख संस्था

परिशिष्ट–02

मुख्यमंत्री बाल उदय योजना अंतर्गत आफ्टर केयर का लाभ रहे बालक हेतु

अनुवर्तन प्रतिवेदन

1. अनुवर्तन प्रतिवेदन बनाने वाले केसवर्कर/परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी का नाम एवं पदनाम :– ....
2. अनुवर्तन प्रतिवेदन बनाने की तिथि :
3. बालक के योजना अंतर्गत लाभान्वित होने संबंधी आदेश का कमांक एवं तिथि :
4. बालक/युवक/युवती का नाम :
5. लिंग (स्त्री/पुरूष) :
6. बालक/युवक/युवती का मोबाईल नंबर और ई–मेल :
7. आफ्टर केयर अंतर्गत वर्तमान निवास का पूर्ण पता :
8. योजना अंतर्गत प्राप्त सहयोग/लाभों की जानकारी :

- योजना अंतर्गत मासिक सहयोग राशि प्राप्त होने की तारीख (पिछले 3 महीने की जानकारी) :
  1. तारीख : .... प्राप्त राशि : ....
  2. तारीख : .... प्राप्त राशि : ....
  3. तारीख : .... प्राप्त राशि : ....
- योजना अंतर्गत लिए जा रहे लाभ :
  1. सामुदायिक आवास का लाभ लेने की स्थिति में संपूर्ण विवरण : ....
  2. स्वास्थ्य की स्थिति का विवरण : ....
  3. शिक्षा/व्यावसायिक प्रशिक्षण का पूर्ण विवरण : ....
  4. अन्य : ....

9. वर्तमान में बालक/युवक/युवती की शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधित जानकारी :

- शिक्षा संबंधित जानकारी :
  1. ....
  2. ....
- व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधित जानकारी :
  1. ....
  2. ....

10. स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधित विवरण :

- शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या और चिकित्सा (अगर है/थी) :

  ....

- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या और चिकित्सा (अगर है/थी) :

  ....

- कोई अन्य : ....

- वर्तमान में चल रही चिकित्सा (अगर है तो) :..

11. बालक से वार्तालाप / साक्षात्कार के आधार पर :

क्र.	विवरण	ध्यान देने योग्य बिंदु	बालक में वांछित बदलाव	वर्तमान में प्रचलित हस्तक्षेप	आफ्टर केयर के दौरान प्रस्तावित हस्तक्षेप
1.	स्वास्थ्य और पोषण				
2.	मानसिक और भावनात्मक				
3.	शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण				
4.	खेल–कूद और रचनात्मक कार्य				
5.	लोगों के साथ संबंध और व्यवहार				
6.	धार्मिक और जातिगत विचारधारा				
7.	साधारण कार्य कुशलता				
8.	जीवन कौशल प्रशिक्षण				
9.	स्वतंत्र जीवनयापन की कला				
10.	वित्तीय प्रबंधन कला				
11.	बालक संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय				

12. बालक के पास उपलब्ध आवश्यक अभिलेखों की सूची :–

क्र.	अभिलेख का विवरण	पूर्ण / अपूर्ण	अभिलेख निर्माण प्रकिया की वर्तमान स्थिति	क्र.	अभिलेख का विवरण	पूर्ण / अपूर्ण	अभिलेख निर्माण प्रकिया की वर्तमान स्थिति
1.	आधार कार्ड			8.	राशन कार्ड		
2.	पैन कार्ड			9.	आयुष्मान कार्ड		
3.	ड्राइविंग लाइसेन्स			10.	अनाथ होने का प्रमाण पत्र		
4.	बैंक बचत खाता			11.	ई–श्रम कार्ड		
5.	जन्म प्रमाण पत्र			12.	वोटर आई–डी		
6.	मूल निवास प्रमाण पत्र			13.	रेफरेंस पत्र		
7.	जाति प्रमाण			14	अन्य कोई		

13. बालक की वर्तमान स्थिति :–

....

....

....

14. अनुवर्तन अनुसार योजनांतर्गत दिए जाने वाले लाभ में किसी परिवर्तन की अनुशंसा :–

14.1 आफ्टर केयर अवधि के दौरान स्वीकृति योग्य मासिक राशि :– ....

14.2 अनुशंसित आवास व्यवस्था का विवरण :–

14.3 उच्च शिक्षा / व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए निर्धारित फीस एवं अन्य शुल्क का विवरण :–

चयनित पाठ्यक्रम का विवरण	अवधि	संस्था	संस्था मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं, बैंक खाता क्रमांक आईएफएससी कोड (अभिलेख संलग्न करें)	संस्था में प्रवेश की पुष्टि संबंधी विवरण (अभिलेख संलग्न करें)	पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की संभावित तिथि	निर्धारित फीस	अन्य फीस	कुल देय राशि

15. अन्य कोई :– ....

हस्ताक्षर

केसवर्कर / परिवीक्षा अधिकारी
/ बाल कल्याण अधिकारी /
पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी

परिशिष्ट–03

मुख्यमंत्री बाल उदय योजना छत्तीसगढ़

योजना क्रियान्वयन हेतु समय–सीमा तालिका

क्रं.	कार्यवाही विवरण	उत्तरदायी अमला	बालक की आयु	कार्यवाही की समय–सीमा	रिमार्क
1	आफ्टर केयर की प्रारम्भिक तैयारी के लिए बालक का चिन्हांकन	अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था)	14 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर	1 माह	
2	प्रारूप 7 में व्यक्तिगत देखरेख योजना	केस वर्कर	त्रैमासिक रूप से तथा 17 वर्ष 6 महीने होने पूर्व अद्यतन किया जाना	प्रत्येक त्रैमासिक	
3	बच्चे की रूचि एवं रूझान संबंधी अभिलेख का संधारण	अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था)	14 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर रूचि/रूझान का आंकलन एवं 17 वर्ष 6 महीने होने पूर्व अद्यतन किया जाना	1 माह	
4	जीवन कौशल पर प्रशिक्षण	अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था)	14 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर	सतत	गतिविधियों का बालक की आयु अनुरूप चयन किया जाना
5	शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण	अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था)	14 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर	सतत	बालक की आयु एवं रूचि अनुरूप चयन किया जाना
6	प्रारूप 43 में जीवनवृत्त	केस वर्कर	संस्था में प्रवेश तथा 17 वर्ष 6 महीने होने पूर्व अद्यतन किया जाना	निर्धारित समय के 15 दिवस के भीतर	

परिशिष्ट–03

मुख्यमंत्री बाल उदय योजना छत्तीसगढ़
योजना क्रियान्वयन हेतु समय–सीमा तालिका

क्रं.	कार्यवाही विवरण	उत्तरदायी अमला	बालक की आयु	कार्यवाही की समय–सीमा	रिमार्क
7	आफ्टर केयर आवेदन तैयार करना	केस वर्कर	17 वर्ष 6 महीने होने पूर्व किया जाना		
8	आफ्टर केयर आवेदन का परीक्षण, सत्यापन, और डीसीपीयू को अग्रेषित करना	अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था)	17 वर्ष 6 महीने होने पर		
9	आफ्टर केयर का आवेदन का सूक्ष्म परीक्षण और त्रुटि होने पर सुधार	पीओ– एनआईसी, पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी	–	आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर।	त्रुटि होने पर 15 दिनों के अंदर सुधार किया जाएगा।
10	जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अनुशंसा किए गए आवेदनों को बाल न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति को अग्रेषित करना	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	बालक के 18 वर्ष होने के 2 महीने पूर्व	आवेदन प्राप्ति के 1 माह के भीतर	आवेदन में किसी प्रकार की कमी होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा 15 दिनों के अन्दर संशोधन कर, आवेदन पुनः प्रस्तुत किया जाएगा
11	आफ्टर केयर निर्णय लेने हेतु आवेदनकर्ता बालक का साक्षात्कार	बाल न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति	बालक के 18 वर्ष होने के 1 महीने पूर्व		

परिशिष्ट–03

मुख्यमंत्री बाल उदय योजना छत्तीसगढ़
योजना कियान्वयन हेतु समय–सीमा तालिका

क्रं.	कार्यवाही विवरण	उत्तरदायी अमला	बालक की आयु	कार्यवाही की समय–सीमा	रिमार्क
12	बाल न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा प्रारूप–37 में आदेश	बाल न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति	बालक के 18 वर्ष होने के पूर्व		
13	आफ्टर केयर अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने हेतु कलेक्टर के माध्यम से राज्य को प्रस्ताव का प्रेषण	जिला बाल संरक्षण अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी		आदेश होने के 01 सप्ताह के भीतर	
14	राशि का विमुक्तिकरण	राज्य / जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी		01 माह	जिले में राशि प्राप्त होने पर 01 सप्ताह के भीतर बालक / संबंधित संस्था को राशि जारी की जावेगी।
15	आफ्टर केयर आदेश अनुरूप बालक की बाल देखरेख संस्था से निर्मुक्ति	अधीक्षक बाल देखरेख संस्था	बालक के 18 वर्ष होने पर		
16	बालक की आफ्टर केयर आदेश अनुरूप स्थापना	पीओ– एनआईसी और जिला बाल संरक्षण अधिकारी	बालक के 18 वर्ष होने के पूर्व / 18 वर्ष होने पर		

परिशिष्ट–03

मुख्यमंत्री बाल उदय योजना छत्तीसगढ़
योजना क्रियान्वयन हेतु समय–सीमा तालिका

क्रं.	कार्यवाही विवरण	उत्तरदायी अमला	बालक की आयु	कार्यवाही की समय–सीमा	रिमार्क
17	उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति	जिला बाल संरक्षण अधिकारी		आवश्यकता अनुसार	
18	परामर्श और स्वास्थ्य सेवाओं संबंधि आवश्यकताओं की पूर्ति	पीओ–एनआईसी		आवश्यकता अनुसार	
19	लाभान्वित बालकों का निरंतर फॉलोअप (अनुवर्तन) और अनुवर्तन प्रतिवेदन बनाना	पीओ– एनआईसी, पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी	बालक की आफ्टर केयर से निर्मुक्त होने तक	प्रत्येक त्रैमास	
20	राज्य को प्रेषित मासिक अनुवर्तन प्रतिवेदन	जिला बाल संरक्षण अधिकारी			
21	आवेदन में दिये गए विकल्प अनुसार आवास, शिक्षा व्यावसायिक और/या रोजगार आदि हेतु तैयारी करना।	जिला बाल संरक्षण अधिकारी		आवेदन प्राप्ति के 4 माह के अंदर	
22	अपवादात्मक स्थिति में आफ्टर केयर सेवाओं को 2 वर्ष बढ़ाने हेतु आवेदन और अनुवर्तन प्रतिवेदन अग्रेषित करना	पीओ– एनआईसी, पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी और जिला बाल संरक्षण अधिकारी	आफ्टर केयर आदेश के 3 वर्ष पूर्ण होने के 3 महीने पूर्व	आवेदन प्राप्ति के 1 सप्ताह के भीतर	

परिशिष्ट–03

मुख्यमंत्री बाल उदय योजना छत्तीसगढ़
योजना क्रियान्वयन हेतु समय–सीमा तालिका

क्रं.	कार्यवाही विवरण	उत्तरदायी अमला	बालक की आयु	कार्यवाही की समय–सीमा	रिमार्क
23	अपवादात्मक स्थिति में आफ्टर केयर सेवाओं को 2 वर्ष बढ़ाने हेतु आदेश	बाल न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति			अवधि वृद्धि का आदेश होने पर तद्नुसार राशि जारी करने के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य को प्रस्ताव प्रेषित किया जावें।